

न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 15/2018

तारीख रजू:-23.2.2018

1 रधुनाथ पुत्र सागर जाति जोगी निवासी तहारपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली :-अपीलान्त

बनाम

1 सरकार जरिये नायब तहसीलदार सूरुठ जिला करौली

-रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16.1.2018 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रधुनाथ
अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट न्यायालय नायब तहसीलदार सूरुठ मु०नं०
207/017

निर्णय

दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्त ने एक अपील नायब तहसीलदार सूरुठ तहसील हिण्डौन के निर्णय दिनांक 16.01.2018 से नाखुश होकर बताया गया है कि अपीलान्त के खिलाफ मातहत अदालत द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलान्त की प्रोपर तामील नहीं हुई है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही उसे कभी भौतिक रूप से बेदखल किया है। मात्र पटवारी हल्का के बयान पर भरोसा कर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का से जिरह नहीं करायी गयी है ना ही कोई स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य लिये गये हैं। अपीलान्टी को इस निर्णय की जानकारी घर पर पुलिस का सिपाही आने पर हुई। तत समय दिनांक 17.02.2018 को नियमानुसार न्यायालय से नकल प्राप्त कर श्रीमान् की सेवा में अंदर मियाद अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्त दर्ज पंजीका कर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

वकील अपीलान्त की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन में अपील मीमो को दोराते हुये कहा गया है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है ना ही पूर्व में किया गया था। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।


पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अपने कथन में न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षकारान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का भुकरावली ने एक रिपोर्ट ग्राम ताहरपुर के आराजी खसरा नं. 64 रकबा 0.03 है० पर सरसो बौकर अतिक्रमण किया

बयान के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचार नहीं माना जा सकता है इस प्रकार से यह अतिचार पश्चातवर्ती अतिचार साबित नहीं हो रहा है। हम वकील अपीलान्ट के कथनों से सहमत हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार सूरौठ का निर्णय दिनांक 16.01.2018 में से सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली